

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

-: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या ४६०/भू अ०

दिनांक : 25/11/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-डुमरिया, थाना-मोहनपुर, थाना सं०- 740, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना रिखिया से मोहनपुर (एन० एच० 133 पर) पथ पुनर्निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-डुमरिया, थाना-मोहनपुर, थाना सं०-740, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.64 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-


क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8	319	रैयती	बाड़ी-2	0.08	सुफल तुरी वो फुलचन तुरी पे० मेघल तुरी अंश समान सा० देह।	दाग सं०-	दाग सं०3	मौजा -धाव	नदी
2	13	161	रैयती	मकान	0.01	पुरनी देवी पति तानकी मिर्धा वो उमाशंकर तुरी पे० मुड़ल मिर्धा वो सुकदेव तुरी पे० बन्धु मिर्धा वो नरेश मिर्धा वो लखी मिर्धा वो नागेश्वर मिर्धा वो गांगो मिर्धा पे० पटवारी मिर्धा अंश समान सा० देह।	85,8 6,10 6,16 2	28,3 15,2 10,1 78	1टाड नं०-	743
3	14	321	रैयती	बाड़ी-2	0.10	चुटा महतो पे० नन्हकू महतो सा० देह ज० रैयत।				
4	14	211	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव।				
5	14	182	रैयती	बाड़ी-1	0.04	तथैव।				
6	24	157	रैयती	बाड़ी-2	0.01	योगेश कुमार वो विजेन्द्र तुरी वो राकेश भारती वो शलेश भारती पे० जरमन तुरी अंश समान सा० देह।				
7	40	82	रैयती	धानी-3	0.01 5	भिखारी यादव वो हेमलाल यादव पे० नुनेश्वर महतो वो केशव महतो पे० हरिहर महतो अंश समान सा० देह।				
8	40	84	रैयती	बाड़ी-2	0.01 5	तथैव।				
9	40	725	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव।				
10	55	186	रैयती		0.01	भोला यादव वो असरेश महतो वो कांग्रेस यादव पे० ठाकुर महतो वो हीरालाल यादव पे० इना महतो अंश समान सा० देह।				
11	57	99	रैयती	बाड़ी-2	0.02	सुचित यादव उर्फ सुचित महतो वो रंजीत महतो पे० रासो महतो अंश समान सा० देह।				
12	57	320	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव।				
13	57	212	रैयती	बाड़ी-2	0.02	तथैव।				
14	57	177	रैयती	बाड़ी-1	0.03	तथैव।				
15	57	184	रैयती	बाड़ी-1	0.01	तथैव।				
16	58	174	रैयती	बाड़ी-2	0.01	चन्द्रपाल तुरी पे० सुशील तुरी वो ज्योति				

						मिर्धा पे० दर्शन मिर्धा अंश समान सा०-देह।			
17	58	173	रैयती	बाड़ी-2	0.03	हरिचन्द्र तुरी पे० नेहाल मिर्धा सा० देह।			
18	62	83	रैयती	धानी-3	0.06	दुखन मड़ैया वो हीरा लाल मड़ैया पे० भागु मड़ैया वो भगवान मड़ैया पे० पंचायत मड़ैया वो प्रेम मड़ैया पे० रामेश्वर मड़ैया अंश समान सा० देह।			
19	63	105	रैयती	बाड़ी-2	0.03	शोभिया देव्या पे० बुधन महतो सा० देह।			
20	63	213	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव।			
कुल रकवा-					0.64				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।


 24/11/17
 समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
 देवघर।

ज्ञापांक860...../ भू अ०, देवघर, दिनांक25/11/17.....

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


 24/11/17
 समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
 देवघर।